पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Azadi Ka Amrit Mahotsav

CIRCULAR

Circular no: PFRDA/2022/19/SUP-CRA/6 **Aug 25, 2022**

To,
All the NPS stakeholders

Subject: Changes in process flow of e-Nomination for the benefit Government / Corporate Sector Subscribers

PFRDA had introduced e - Nomination facility for the benefit of NPS Subscribers vide its communication dt. 03.09.2020.

2. The existing Subscribers of NPS who wish to change their nomination in their PRAN can use '*e Nomination' through* their login credentials. The Subscribers can also opt to submit the application for changes in the Nomination, physically to the associated Nodal Officers, Corporate or Points of Presence (POPs) as the case may be.

3. In case of e Nomination of the Subscribers associated with the Government/ Identified Corporate, the e nomination requests need to be authorized by the associated Nodal Office/Identified Corporate for changing the nomination in the PRAN of Subscribers as maintained by the respective CRA. There are a large number of pendency of e Nomination requests of Subscribers, which are attributed to the non-authorization by the associated Nodal Office/Corporate.

4. In the interest of Subscribers, it has been decided that *once the subscriber initiates the nomination request, the Nodal Office would be given an option of either Accept or Reject the nomination request. In case, the Nodal Office has not initiated any action against the request within the 30 days period, the request would get accepted in CRA system. The revised process flow shall also be applicable to the existing e nomination, which are still unauthorized.*

5. The nomination rules are defined by PFRDA Exit Regulations. The relevant extracts of the nomination provided at the **Annexure I** for ready reference. The Subscribers and stake holders are informed, be guided by the nomination rules, and familiarize themselves while updating the nomination.

6. In the e Nomination, the Subscribers will also need to submit an online declaration stating that "*I understand and consent to that nomination being made by me now shall be invalid ab initio if it is not consistent with Regulation 32 of the PFRDA (Exits and Withdrawals) Regulations, 2015 and amendments*".

7. The NPST/Nodal Officers/POPs/CRA/Corporate can educate their Subscribers about the rules of Nomination and suitably advise them for making the changes in the Nomination if those nominations are not as per PFRDA Guidelines. The roles (indicative but not exhaustive) of each Intermediary/ Employer enclosed at the **Annexure II** for ready reference.

The revision in the e Nomination process flow shall be effective from 1st Oct 2022.

Chief General Manager

https://www.staffnews.in

CHAPTER VII of PFRDA(Exits and Withdrawals under the NPS)Regulations, 2015:

Regulation 32. Nomination. - Notwithstanding anything contained in these regulations or in any other law for the time being in force, *a subscriber, at the time of joining the National Pension System is required to make a nomination, in the specified form, conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his or her credit in the accumulated wealth or fund in the event of his or her* death, before that amount becomes payable or having become payable has not been paid. The nominee or nominees, as the case may be, shall be entitled, on the death of the subscriber, to receive, to the exclusion of all other persons, all such moneys which have so remained unpaid:

Provided that, -

i. if the nominee predeceases the subscriber, the nomination shall so far as it relates to the right conferred upon the said nominee, become void and of no effect;
ii. where a provision has been duly made in the nomination, in accordance with these regulations, conferring upon some other person the right to receive all such moneys, which have so remained unpaid, in the event of the nominee predeceasing the subscriber, such right shall, upon the nominee being deceased, pass to such other persons standing as nominees;
iii. a subscriber may in his nomination distribute the amount that may stand to his credit in the fund amongst his nominees at his own discretion;
iv. if a subscriber has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more persons belonging to his family. Any nomination made by such subscriber in favour of a person not belonging to his family shall be invalid;
v. *a fresh nomination shall be made by the subscriber on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid;*
vi. if at the time of making a nomination the subscriber has no family, the nomination may be in favour of any person or persons but if the subscriber subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be invalid and the subscriber shall make a fresh nomination in favour of one or more persons belonging to his family;
vii. where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the subscriber may, for the purposes of this Scheme, appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee in the event of the subscriber predeceasing the nominee and the guardian so appointed;
viii. where there is no major person in the family, the subscriber may, at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee;
ix. a nomination made under the NPS may at any time be modified by a subscriber after giving a written notice of his intention of doing so in the form specified. A nomination or its modification so made shall take effect to the extent that it is valid on the date on which it is received by the intermediary under the NPS;

https://www.staffnews.in

x. if a subscriber proves that his spouse has ceased, under the personal law governing him or her, or the customary law of the community to which the spouses belong, to be entitled to maintenance he or she shall no longer be deemed to be a part of the subscriber's family for the purpose of this Scheme, unless the subscriber subsequently intimates by express notice in writing to the designated intermediary for the purpose that he or she shall continue to be so regarded; and

xi. if a subscriber by notice in writing to the designated intermediary for the purpose expresses her desire to exclude her husband from the family, the husband and his dependent parents shall no longer be deemed to be a part of the subscriber's family for the purpose of this Scheme, unless the subscriber subsequently cancels in writing any such notice

xii. In respect of subscribers covered under sub-clause(c) of Regulation 3 and sub-clause(c) of Regulation 4, *where no valid nomination exists in accordance with these regulations, at the time of exit of such subscriber on account of death, the nomination, if any existing in the records of such subscriber with his or her employer for the purpose of receiving other admissible terminal benefits shall be treated as nomination exercised for the purposes of receiving benefits under the National Pension System.* The employer shall send a confirmation of such nomination in its records, to the NPS Trust or the central recordkeeping agency, while forwarding the claim for processing.

Explanation I -- For the purposes of this

chapter, - (a) the expression "family",

i. in relation to a male subscriber, means his *legally wedded wife*, *his children*, whether married or unmarried, his dependent parents and his deceased son's widow and children;

ii. in relation to a female subscriber, means her legally wedded husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents, her husband's dependent parents and her deceased son's widow and children;

Explanation II -- In either of the above two cases, if the child of a subscriber [or as the case may be, the child of a deceased son of the subscriber] has been adopted by another person and if, under the personal law of the adopter, adoption is legally recognized, such a child shall be considered as excluded from the family of the subscriber.

Important Note for Stake Holders: Please refer PFRDA website Link for complete information.

- PFRDA Regulations: *https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=72*
- Compendium of PFRDA Act & Regulations: *https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2133*

https://www.staffnews.in

Role of nodal officers (Govt / Corporate Sector), CRA, PoP & NPST

No.	Intermediary/office	Tasks
1	Nodal officer (Govt/Corporate sector)/PoP	1. Educate employees/ Subscriber about the importance of nomination. 2. Ensure the nomination of the Subscriber is as per PFRDA regulations/ guidelines. 3. Inform the employee/ Subscribers to change/modify/Update the nomination if the existing nomination is not as per guidelines.
2	CRA	1. Periodically inform subscribers/ PoP/ nodal officer about the e-nomination request received & status through email and SMS. 2. Create awareness about the importance of nomination.
3	NPST	1. Engage with nodal officers/PoP/ Subscribers to ensure that the nomination is as per guideline & ensure exit/ withdrawal happen seamlessly. 2. Highlight the importance of nomination in all outreach efforts.

https://www.staffnews.in

परिपत्र

परिपत्र सं : PFRDA/2022/19/SUP-CRA/6 **अगस्त 25, 2022**

प्रति,
सभी एनपीएस हितधारक

विषय : सरकारी / कॉर्पोरेट क्षेत्रक अभिदाताओं के लाभ हेतु ई-नामितिकरण की प्रक्रिया में बदलाव

पीएफआरडीए ने एनपीएस अभिदाताओं के लाभ के लिए अपने पत्र दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से ई-नामितिकरण सुविधा शुरू की थी।

2. एनपीएस के मौजूदा अभिदाता जो अपने PRAN में अपना नामितिकरण बदलना चाहते हैं, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से '*ई नामितिकरण* का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, अभिदाता नामितिकरण में बदलाव के लिए, मामले के अनुसार आवेदनपत्र को भौतिक रूप से संबद्ध नोडल अधिकारियों, कॉर्पोरेट या उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी) के पास जमा करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

3. सरकार / चिह्नित कॉर्पोरेट से जुड़े अभिदाताओं के ई-नामितिकरण के मामले में, संबंधित सीआरए द्वारा संरक्षित अभिदाताओं के प्रान में नामितिकरण को बदलने के लिए ई-नामितिकरण अनुरोधों को संबंधित नोडल कार्यालय / चिह्नित कॉर्पोरेट द्वारा प्राधिकृत करना होता है। संबद्ध नोडल कार्यालय / कॉर्पोरेट द्वारा प्राधिकृत न किए जाने के कारण अभिदाताओं के ई-नामितिकरण अनुरोधों की एक बड़ी संख्या लम्बित है।

4. अभिदाताओं के हित में, यह निर्णय लिया गया है कि एक बार अभिदाता द्वारा नामांकन अनुरोध शुरू करने के बाद, नोडल कार्यालय को नामांकन अनुरोध स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प दिया जाएगा। यदि नोडल कार्यालय ने 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुरोध के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, तो अनुरोध सीआरए सिस्टम में स्वीकार कर लिया जाएगा। संशोधित प्रक्रिया प्रवाह मौजूदा ई-नामांकन पर भी लागू होगा जो अभी भी अनधिकृत हैं।

5. नामितिकरण नियम PFRDA निकास विनियमों द्वारा परिभाषित किए गए हैं। नामितिकरण के प्रासंगिक अंशों को तत्काल संदर्भ के लिए अनुलग्नक I में दिया गया है। अभिदाताओं और हितधारकों को सूचित किया जाता है कि नामितिकरण को अद्यतन करते समय, वे नामितिकरण नियमों द्वारा निर्देशित हों और उनसे परिचित हो जाएँ।

6. ई-नामितिकरण में, अभिदाताओं को एक ऑनलाइन घोषणापत्र भी जमा करना होगा, जिसमें कहा गया हो कि "मैं समझता हूं और सहमति देता हूं कि मेरे द्वारा अभी किया जा रहा नामितिकरण, पीएफआरडीए (निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के विनियम 32 और उसके संशोधनों के अनुरूप नहीं होने पर शुरू से ही अमान्य होगा।"

https://www.staffnews.in

7. नोडल अधिकारी / पीओपी / कॉर्पोरेट अपने अभिदाताओं को नामितिकरण के नियमों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं और उनके नामितिकरण पीएफआरडीए दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं होने पर नामितिकरण में परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त सलाह भी दे

सकते हैं । प्रत्येक मध्यवर्ती / नियोक्ता की (संपूर्ण नहीं, बल्कि सूचक) भूमिकाएँ, तत्काल संदर्भ के लिए अनुलग्नक II में दी गई हैं ।

ई-नामितिकरण प्रक्रिया में किया गया बदलाव 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा।

मुख्य महाप्रबन्धक

https://www.staffnews.in

पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 का अध्याय VII :

विनियम 32. नामितिकरण - इन विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़ने वाले किसी अभिदाता से, विनिर्दिष्ट प्ररूप में, एक या अधिक व्यक्तियों को, ऐसी रकम, जो उसके सन्देय होने के पूर्व या सन्देय हो जाने पर संदत्त नहीं की गई है, उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में संचित धनराशि या संचित निधि के रूप में उसकी जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करते हुए नामितिकरण करने की अपेक्षा होगी I नामिति अथवा नामितियों को अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर ऐसी सभी धनराशियों को, जो सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके असंदत्त है, प्राप्त करने का, यथास्थिति हक होगा I

परन्तु-

i. यदि नामिति की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाती है तो नामितिकरण, जहाँ तक उसका सम्बन्ध नामिति को प्रदत्त अधिकारों से है, शून्य हो जाएगा ;

ii. जहां इन विनियमों के अनुसार नामिति की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाने की दशा में नामितिकरण में सम्यक् रूप से किए गए किसी उपबंध में ऐसी सभी धनराशियां, जो अभी तक असंदत्त हैं, प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त किया गया है, वहां ऐसा अधिकार नामिति की मृत्यु हो जाने पर नामिति के रूप में प्रत्यास्थापित ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा ;

iii. अभिदाता अपने नामितिकरण में ऐसी रकम को, जो उसकी निधि में जमा है, अपने स्वयं के विवेकाधिकार से अपने नाम निर्देशितियों के बीच वितरित कर सकेगा ;

iv. यदि नामितिकरण के समय किसी अभिदाता का कुटुंब है तो नामितिकरण, उसके कुटुंब के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाएगा I ऐसे अभिदाता द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामितिकरण, जो उसके कुटुंब का सदस्य नही है, अविधिमान्य होगा ;

v. अभिदाता द्वारा, उसका विवाह होने पर नए सिरे से नामितिकरण किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किया गया कोई नामितिकरण अविधिमान्य समझा जाएगा ;

vi. यदि नामितिकरण करने के समय अभिदाता का कोई कुटुंब नहीं है तो नामितिकरण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा किन्तु तत्पश्चात् यदि अभिदाता कोई कुटुंब अर्जित कर लेता है तो ऐसा नामितिकरण तत्काल अविधिमान्य समझा जाएगा और अभिदाता अपने कुटुंब के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नए सिरे से नामितिकरण करेगा ;

vii. जहां कोई नामितिकरण पूर्ण रूप से या भागतः किसी अवयस्क के पक्ष में किया जाता है वहां अभिदाता, इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, अपने कुटुंब के किसी वयस्क व्यक्ति को, अभिदाता की नामिति और इस प्रकार नियुक्त संरक्षक से पहले मृत्यु होने की दशा में अवयस्क नामिति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा ;

viii. जहां कुटुंब में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है वहां अभिदाता अपने विवेकाधिकार से किसी अन्य व्यक्ति को, अवयस्क नामिति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा ;

ix. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किया गया कोई नामितिकरण अभिदाता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय उपांतरित किया जा सकेगा I कोई नामितिकरण या इस प्रकार किया गया उपान्तरण, उस विस्तार तक प्रभावी होगा जहां तक वह उस तारीख को, जिसको यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किसी मध्यवर्ती को प्राप्त होता है, विधिमान्य है ;

https://www.staffnews.in

x. यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसके पति या पत्नी ने, उसे शासित करने वाली स्वीय विधि या उस समुदाय की, जिसका पति या पत्नी है, रुदिजन्य विधि के अधीन भरणपोषण का हकदार नहीं है तो वह इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए अभिदाता के कुटुंब का भाग तब तक नहीं समझा जाएगा या समझी जाएगी, जब तक अभिदाता उसके बाद अभिहित मध्यवर्ती को, उक्त प्रयोजन के लिए कि उसका उससे सम्बन्ध बना हुआ है, लिखित सूचना द्वारा सूचित नहीं कर देता है ; और

xi. यदि अभिदाता उक्त प्रयोजन के लिए अभिहित मध्यवर्ती को लिखित सूचना द्वारा अपने पति को कुटुंब से अपवर्जित करने की वांछा करती है तो पति और उसके आश्रित माता-पिता को इस स्कीम के प्रयोजन के लिए अभिदाता के कुटुंब का भाग नहीं समझा जाएगा तब तक अभिदाता तत्पश्चात् लिखित में ऐसी सूचना को रद्द न कर दे I

xii. विनियम 3 के उपखंड (सी) और विनियम 4 के उपखंड (सी) के तहत आने वाले ग्राहकों के संबंध में, जहां इन नियमों के अनुसार कोई वैध नामितिकरण मौजूद नहीं है, ऐसे ग्राहक की मृत्यु के कारण बाहर निकलने के समय, नामितिकरण, यदि अन्य स्वीकार्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नियोक्ता के पास ऐसे ग्राहक के रिकॉर्ड में कोई मौजूद है, तो उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए नामितिकरण के रूप में माना जाएगा। प्रसंस्करण के लिए दावा अग्रेषित करते समय नियोक्ता अपने रिकॉर्ड में ऐसे नामितिकरण की पुष्टि एनपीएस ट्रस्ट या केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी को भेजेगा।

स्पष्टीकरण 1- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,-

7. “कुटुंब” पद से,-

i. पुरुष अभिदाता के सम्बन्ध में उसकी विधितः विवाहित पत्नी, उसके बालक, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक अभिप्रेत हैं ;

ii. किसी महिला अभिदाता के सम्बन्ध में उसका विधितः विवाहित पति, उसके बालक, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक ;

स्पष्टीकरण 2 – उपरोक्त दोनों दशाओं में यदि किसी अभिदाता के, यथास्थिति, बच्चों या यथास्थिति अभिदाता के मृतक पुत्र के बच्चे का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और यदि दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन दत्तक ग्रहण वैध रूप से मान्यताप्राप्त है तो ऐसे बच्चे को अभिदाता के कुटुंब से यथा अपवर्जित समझा जाएगा I

हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना : कृपया पूरी जानकारी के लिए पीएफआरडीए की वेबसाइट लिंक देखें :

- PFRDA विनियम: https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=72
- PFRDA अधिनियम और विनियमों का संग्रह: https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2133

https://www.staffnews.in

नोडल अधिकारियों (सरकारी / कॉर्पोरेट क्षेत्र), सीआरए, पीओपी और एनपीएसटी की भूमिका

क्रम सं.	मध्यवर्ती / कार्यालय	कार्य
1	नोडल अधिकारियों (सरकारी / कॉर्पोरेट क्षेत्र)/ पीओपी	1. कर्मचारियों / अभिदाता को नामितिकरण के महत्व के बारे में शिक्षित करना। 2. सुनिश्चित करना कि अभिदाता का नामितिकरण पीएफआरडीए के विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार हो। 3. यदि मौजूदा नामितिकरण दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो कर्मचारी / अभिदाताओं को नामितिकरण बदलने / सुधारने / अपडेट करने के लिए सूचित करना।
2	सीआरए	1. प्राप्त ई-नामितिकरण अनुरोध और उसकी स्थिति के बारे में ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से समय-समय पर अभिदाताओं / पीओपी / नोडल अधिकारी को सूचित करना। 2. नामितिकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना।
3	एनपीएसटी	1. नोडल अधिकारियों / पीओपी / अभिदाताओं के साथ जुड़ना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नामितिकरण दिशानिर्देश के अनुसार हो और निकास / प्रत्याहरण निर्बाध रूप से हो। 2. सभी आउटरीच प्रयासों में नामितिकरण के महत्व पर प्रकाश डालना।